April, 1978 regarding common seniority for promotion of accountants working in Marketing Division of IDPL and state:

(a) the specific date from which the seniority cadre of Accountants working in Regions/Depots under Marketing Division of I.D.P.L. has been separated from that of the Accountants working in Head Office Marketing Division at New Delhi and Central Office;

(b) whether it is a fact that until 1977 Accountant in the Undertaking have been promoted on the basis of combined seniority for them (Accountants) working in Head Office Marketing Division, Central Office and Regions/Depots; and

(c) if so, the reasons for making separate seniority of Accountants working in Regions/Depots?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM. AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) As per information furnished by the IDPL, Accountants working under Regions/Depots under the Marketing Division belong to a separate seniority from the very inception of Regions/Depots, i.e., with effect from November, 1967.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में विचाराधीन पड़े मामले

9729. श्री राघवजी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) 31 मार्च, 1978 को विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन पड़े मामलों की कुल संख्या कितनी थी और उनमें से कितने मामले सात वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन पड़े थे ;

(ख) उनके शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) विभिन्न उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त पड़े हैं और वे कब भरे जायेंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख). 31 मार्च, 1978 की स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं है। विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में 1 दिसम्बर 1977 को लम्बित मामलों की कुल संख्या तथा उनके शीघ्र निपटारे के लिए की जा रही कार्यवाही की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) तारीख 1-5-1978 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या इस प्रकार थी —

इलाहाबाद	2
आन्ध्र प्रदेश	2
मुम्बई	3
दिल्ली	4
गोहाटी	4
गुजरात	5
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू-कश्मीर	1
कर्नाटक	2
मध्य प्रदेश	1
मद्रास	3
उडीसा	1
पटना	2
पंजाब और हरियाणा	4
राजस्थान	4

इन पदों को यथाशीघ्र भरने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय मे 31 दिसम्बर, 1977 को लम्बित मामलों की कुल सख्या और उनमे से उन मामलो की सख्या जो सात वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं।

	लम्बित मामलों की कुल सख्या	सात वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामलों की सख्या
उच्चतम न्यायालय	18,215	1,514
उच्च न्यायालय		
इलाहाबाद	1,32,749	14,463
आन्ध्र प्रदेश	15,887	2
मुम्बई	52,592	3,195
कलकत्ता	72,448	13,507*
दिल्ली	26,587	3,212
गोहाटी	6,548	150
गजरात	11,722	20
हिमाचल प्रदेश	5,019	145
जम्मू-कश्मीर	4,742	84
केरल	42,739	2
कर्नाटक	36,449	28*
मध्य प्रदेश	46,613	1 557*
मद्रास	51,763	439
उडीसा	6 042	162
पटना	29,435	3,204*
पजाब और हरियाणा	46,069	4,225
राजस्थान	20,558	1,192*
सिक्किम	21	—

*केवल मुख्य मामले।

(ङ) मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई है, अर्थात् :—

(i) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का संशोधन करके 31 दिसम्बर, 1977 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 13 से बढ़ा कर 17 कर दी गई है। उच्चतम न्यायालय में 31-12-1977 के पहले जो स्थान रिक्त थे उन्हें भर दिया गया है और 30-12-1977 को उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या पूरी थी। तारीख 1-1-1978 को न्यायमूर्ति गोस्वामी के सेवा निवृत्त होने से जो स्थान रिक्त हुआ था उसे भी भर दिया गया है।

(ii) उच्च न्यायालयों में काफी रिक्त स्थानों को भर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य प्राधिकारियों/मुख्य न्यायाधिपतियों से प्रस्ताव मांगने के लिए पहल की गई है और जहां आवश्यक था सम्बद्ध राज्य प्राधिकारियों/मुख्य न्यायाधिपतियों को स्मरण-पत्र भेजे गए है। 1 अप्रैल, 1977 से 1 मई, 1978 तक की अवधि में 58 नई नियुक्तियां की गई है।

(iii) उन उच्च न्यायालयों में जिनके सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तारीख 1-4-1977 से न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई है। यह वृद्धि निम्नलिखित उच्च-न्यायालयों में उन तारीखों से की गई है जिन तारीखों को वे पद भरे जाएंगे :—

उच्च न्यायालय का नाम	वृद्धि	
	स्थायी	अपर
इलाहाबाद	—	6
मध्य प्रदेश	—	6
कर्नाटक	1	1
हिमाचल प्रदेश . . .	—	1
पटना	—	3
कुल	1	17

(iv) विलम्ब को कम करने का आम प्रश्न भारत के मुख्य न्यायाधिपति के कुछ उपायों/प्रस्ताव तैयार करने के लिए भेज दिया गया है।

(v) विभिन्न राज्यों की विभिन्न परिषदों और बार एसोसिएशनों को पत्र भेजे गये हैं जिन में उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे मामलों को शीघ्र निपटाने के कार्य में अपना सहयोग दें और उसके लिए अपने सुझाव भी दें।

(vi) विधि आयोग से बकाया मामलों की आम समस्या को सुलझाने के लिए उचित उपाय का सुझाव देने का अनुरोध किया गया है। आयोग इस विषय पर विचार कर रहा है।

(vii) उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करके, हाल ही में उच्चतम न्यायालय नियमों में संशोधन किया है जिससे कि उच्चतम न्यायालय में मामले शीघ्र निपटाए जा सकें ।

लोक सभा और विधान सभाओं के चुनावों पर व्यय

9730. **श्री राघवजी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1977 में हुए लोक सभा के चुनावों पर सरकार ने कुल कितनी धन-राशि खर्च की ,

(ख) उसके बाद देश मे हुए विधान सभाओं के चुनावों पर सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की; और

(ग) क्या सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है जिससे लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव सामान्यतया साथ-साथ हों ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) मार्च, 1977 में हुए लोक सभा के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने और निर्वाचनों का संचालन करने पर सरकार द्वारा उपगत कुल व्यय 29,80,40,964 रु० था । इस रकम मे मेघालय के बारे में निर्वाचक नामावलियां तैयार करने पर हुआ खर्च सम्मिलित नहीं है ।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

Demands of SMs and ASMs in Southern Railway

9731. **SHRI K. A. RAJAN:** Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the serious situations arising out of the action instituted by the Station Masters and Asstt. Station Masters in Southern Railway to press some of their urgent demands;

(b) whether the Railway Administration has resorted to mass scale suspension and chargesheeting of the employees;

(c) whether a number of dislocation of passenger and freight traffic in that zone has taken place; and

(d) what are the details and their demands and what steps are taken by the Government to arrive at a amicable settlement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (d). Some Station Masters and Assistant Station Masters on the Southern Railway started an agitation from the midnight of 19th/20th April, 1978 by refusing to give line clear to goods trains or by locking up their stations. In order that the services could be maintained, the Railway Administration had to relieve a number of unwilling staff of their duties by suspending them. In this way, 189 employees were suspended and substitute staff posted to maintain the services. Later, some Station Masters and Assistant Station Masters absented themselves by reporting sick. Charge-sheets were also issued on certain employees for specific offences. In all about 800 Station Masters/Assistant Station Masters out of about 3500 joined the agitation.